

आवश्यक दस्तावेज

- क) मूल बॉण्ड प्रमाण-पत्र
- ख) फॉर्म एसएच-13 (प्रारूप संलग्न)
- ग) बॉण्डधारक के पैन कार्ड की प्रतिलिपि (स्व-अनुप्रमाणित)
- घ) बॉण्डधारक द्वारा हस्ताक्षरित अनुरोध-पत्र

इन दस्तावेजों को रजिस्ट्रार के पास भेजा जाना आवश्यक है।

पीएफसी बॉण्ड के लिए रजिस्ट्रार के संपर्क और पत्राचार के विवरण के लिए, कृपया पीएफसी वेबसाइट - www.pfcindia.com पर निवेशक टैब के अंतर्गत बॉण्ड सेक्शन पर जाएं।

फॉर्म सं. एसएच-13-नामांकन फॉर्म
 [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 तथा कंपनी (शेयर पूँजी एवं डिबेंचर)
 नियमावली 2014 के नियम 19(1) के अनुसरण में]

सेवा में,
 (कंपनी का नाम) _____
 (कंपनी का पता) _____
 _____ पिनकोड _____
 मैं/हम _____
 निवासी _____

प्रतिभूतियों का/की/के धारक हूँ/हैं, जिसका ब्यौरा
 इसमें है, नामांकन करने का/के इच्छुक हूँ/हैं तथा एतदद्वारा निम्नलिखित व्यक्ति को नामित करता/करते हूँ/हैं, जिन्हें मेरी/हमारी
 मृत्यु की स्थिति में ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में सभी अधिकार होंगे।

1) प्रतिभूतियों का ब्यौरा (जिनके संबंध में नामांकन किया जा रहा है)

प्रतिभूतियों की प्रकृति	फोलियो सं.	प्रतिभूतियों की संख्या	प्रमाण-पत्र सं.	Distinctive No.	
				से	तक

2) नामिती का ब्यौरा

नाम:	जन्म-तिथि: _____ / _____ / _____	कृपया नामिती के नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं और उसपर हस्ताक्षर करें	
पिता/ माता/ पति/पत्नी का नाम:	व्यवसाय:		
ई-मेल आईडी:			
फोन नं.:	प्रतिभूति धारक के साथ संबंध:		
पता:	नामिती के हस्ताक्षर		
पिन कोड _____			

3) नामिती के अवयस्क होने की स्थिति में

जन्म-तिथि: _____ / _____ / _____	वयस्क होने की तारीख _____ / _____ / _____	अभिभावक का नाम:
अभिभावक का पता:		पिन कोड _____

प्रतिभूति धारक(कों) का नाम		हस्ताक्षर
1.	2.	3.
साक्षी का नाम		साक्षी के हस्ताक्षर तारीख सहित
साक्षी का पता:		_____
पिन कोड _____		_____
स्थान:	तारीख: _____ / _____ / _____	_____

नीचे दिए गए अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के बाद अनुलिपि में इस नामांकन फॉर्म को भरें:

1. एकल या संयुक्त रूप से व्यक्ति के एकमात्र धारण बॉण्ड द्वारा नामांकन किया जा सकता है। सोसाइटी, ट्रस्ट, कॉर्पोरेट निकाय, पार्टनरशिप फर्म, हिंदू अविभाजित परिवार के कर्ता और पावर ऑफ अटॉर्नी धारक सहित गैर-व्यक्ति नामांकन नहीं कर सकते।
2. सोसाइटी, ट्रस्ट, कॉर्पोरेट निकाय, पार्टनरशिप फर्म, हिंदू अविभाजित परिवार के कर्ता और पावर ऑफ अटॉर्नी धारक नामिती नहीं होंगे।
3. बॉण्ड-धारक एक नाबालिंग को नामिती के रूप में नामित कर सकते हैं और उस स्थिति में अभिभावक का नाम और पता प्रदान किया जाएगा।
4. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 72 के अनुसार, यदि बॉण्ड एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से धारण किए जाते हैं, तो संयुक्त धारक एक साथ एक व्यक्ति को नामित कर सकते हैं, जिसे सभी संयुक्त धारक की मृत्यु की स्थिति में कंपनी के शेयरों में सभी अधिकार निहित होंगे।
5. यदि बॉण्ड संयुक्त रूप से धारण किए जाते हैं, तो धारकों में से किसी की मृत्यु के बाद, बॉण्ड नामिती के पक्ष में पंजीकृत नहीं होंगे, अपितु जीवित बॉण्ड-धारक[कों] के नाम पर अंतरित किए जाएंगे।
6. "अनुलिपि" में भरा नामांकन फॉर्म कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट के पास दर्ज किया जाना चाहिए। नामांकन के पंजीकरण के बाद रजिस्ट्रार द्वारा नामांकन फॉर्म की एक प्रतिलिपि शेयरधारक को लौटा दी जाएगी। आवंटित पंजीकरण संख्या उक्त प्रपत्र में प्रस्तुत की जाएगी।
7. बॉण्ड-धारक फॉर्म सं. एसएच-14 (नामांकन फॉर्म की विविधता या रद्दीकरण) को निष्पादित करके पूर्ववर्ती नामांकन को हटा या बदल सकते हैं।
8. जब भी दिए गए फोलियो में बॉण्ड को अंतरित/अभौतिकीकृत किया जाता है तो नामांकन रद्द माना जाता है। साथ ही, समेकन/ट्रांसमिशन के कारण फोलियो में परिवर्तन की स्थिति में एक नया नामांकन दाखिल करना होगा।
9. फॉर्म सं. एसएच-13 के माध्यम से किया गया नामांकन वैध माना जाएगा, यदि बॉण्ड के पंजीकृत धारक[कों] की मृत्यु से पूर्व बॉण्ड के धारक[कों] द्वारा किया गया नामांकन कंपनी के साथ पंजीकृत है।
10. कृपया ध्यान दें कि नामांकन के एक विधिक दस्तावेज होने के कारण नामांकनकर्ता द्वारा तारीख लिखी जानी चाहिए और गवाह को यह प्रमाणित करना चाहिए कि नामांकनकर्ता ने उनकी उपस्थिति में फॉर्म पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अतिरिक्त, नामांकन फॉर्म पर निष्पादन की तारीख दस्तावेज की गवाही कर रहे गवाह की तारीख से मेल खानी चाहिए।
11. नामिती व्यक्ति की फोटो चिपकाना अनिवार्य नहीं है और यदि नामिती व्यक्ति की फोटो चिपकाई है, तो फोटो पर हस्ताक्षर करना होगा।

कायोलय उपयोग हेतु

नामांकन पंजीकरण सं.	पंजीकरण की तारीख	कोड संख्या सहित कार्मिक के हस्ताक्षर

